थाना मूसाझाग पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त को अभियोग पंजीकृत होने के मात्र 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ श्री डा0 ओ0 पी0 सिंह के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत थाना मूसाझाग पुलिस द्वारा आज दिनाँक 28-08-2023 को मु0अ0सं0 249/ 2023 धारा 302 / 201 भादवि में वांछित चल रहे अभियुक्त बाबू पुत्र अलाउद्दीन निवासी ग्राम मचलई थाना मूसाझाग जिला बदायू को अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के अंदर मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरणः- पूछताछ में अभियुक्त बाबू पुत्र अलाउद्दीन निवासी ग्राम मचलई थाना मूसाझाग जिला बदायूँ ने घटना के बारे मे बताया कि मेरे गांव का ईशारउद्दीन पुत्र जफरूद्दीन अक्सर मेरे घर पर आता जाता था मुझे शक हो गया था कि ईशारउद्दीन की गलत नजर मेरी पत्नी अफसाना पर है मै पहले से डरा हुआ हूँ क्योकि मेरी दो वीवीयाँ इसी तरह मुझे छोड़कर चली गयी कही ये भी न चली जाये इसलिये मैने ईशारउद्दीन को ठिकाने लगाने की बात मन में सोच ली । ईशारउद्दीन मेरे साथ रहता था मेरे साथ ही शराब पीता था ईशारउद्दीन मजदूरी करके जो पैसा लाता था वह मुझ पर खाने पीने में खर्च करता था इस लिये मुझे और ज्यादा शक हो गया था ईशारउद्दीन अपने कमाई का एक भी पैसा अपने परिवार वालों को नहीं देता था इतवार की रात ईशारउद्दीन और मैने बैठकर शराब पी, फिर ईशारउद्दीन के लेकर मै निसारउद्दीन के खाली पड़े मकान की तरफ ले गये मेरे पास और भी शराब थी मैने वहाँ ईशारउद्दीन को शराब पीलाई और मैने स्वंय कम पी थी तभी हल्की हल्की बरसात होने लगी तो हम दोनो निसारूद्दीन के कमरे जिसमें भूसा रखा था उसमें चले गये ईशारउद्दीन नशे में हो गया था तभी मैने वहां पड़ी प्लास्टिक की रस्सी उठाकर उसके गले में डालकर जोर से खिच दी जिससे कुछ देर में उसके प्राण निकल गये फिर भी मुझे लगा कही जिंदा न हो तो फिर मैने उसी रस्सी को कमरे की छत पर लगी लकड़ी की बल्ली में फसाकर लटका दिया था और मै वहा से रात का फायदा उठाकर चुप चाप चला गया ।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूँ।